न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (RAS)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 04/2018

दायर दिनॉक :- 14.05.2018

निर्णय दिनॉक :- 16.04.2021

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. सैफुदीन पिता सजाद हुसैन बोहरा निवासी- भिण्डर, तह- वल्लभनगर<br>2. फखरुदीन पिता फिदा हुसैन बोहरा निवासी- भीण्डर, तह०- वल्लभनगर जिला- उदयपुर (राज०) | | 1. मोहन पिता शोभालाल सुथार<br>2. रामचन्द्र पिता हीरालाल सुथार<br>3. चन्द्रमल पिता हीरालाल सुथार निवासीयान- रुण्डेडा तहसील- वल्लभनगर (उदयपुर) |

राजस्व प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति- श्री सुरेश बापना वकील प्रार्थीगण
श्री पैरोकार सरकार अप्रार्थी सं. 4

## * निर्णय *

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जिसके संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि-

(1) यह है कि मौजा-चकवी ताणा तहसील भूपालसागर के हल्के बेरुनी में आ० न० 117, 118, 119 व 120 स्थित है। जिस पर नक्शे से दर्शित रास्ते से होकर आ० न० 101, 118 की मेड़ पर होते हुए आ० न० 117 मे प्रवेश करते है। इस रास्ते का वर्षो से उपयोग कर रहे है किन्तु अप्रार्थीगण तारबंदी कर रास्ते को बंद करने की धमकी दे रहे है। खेते में रास्ते दर्शित नही है जिससे अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते को अवरुद्ध कर फसल बो देते है और रास्ते को अव[illegible] कर देते है। जिससे प्रार्थीगण अपनी फसल बो नही पाते है और ना ही कटी हुई फसल को ला सकते है।

(2) यह है कि प्रार्थीगण रास्ते का [illegible] से उपयोग [illegible] कर रहे है। प्रार्थीगण को सुखाधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण ने अपनी आराजी मे से ही अप्रार्थीगण को आराजी का विक्रय किया था, उस समय पहले से ही प्रार्थीगण इस रास्ते का उपयोग कर रहे है।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)
16.4.21

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.04.16 16:06:13 IST
Reason: SelfAttested

——— लगातार ———

Scanned with CamScanner

अत: प्रार्थीगण ने मौजा चक बी ताणा की आ० न० 117, 118, 119 व 120 पर आने-जाने के लिए आ० न० 101, 118 की मेड़ पर 10 फीट का रास्ता दिलाये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। सम्मन तामिल के बाद भी अप्रार्थी सं. 1, 2 व 3 की तरफ से कोई हाजिर नहीं हुआ। अप्रार्थी सं. 4 पैरोकार सरकार तहसीलदार भूपालसागर की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार भूपालसागर की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण अपने आराजियात पर आ० न० 99 बिलानाम रास्ता से आ० न० 100, 101 व 116 खातेदारी में से पूर्व में आते-जाते थे। उक्त रास्ता मौके पर बंद है। उक्त आ० न० 117, 118, 119 व 120 में आने-जाने हेतु उक्त आ० न० 100, 101, 116 में से के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। वादी आ० न० 100, 101 व 116 की दक्षिणी मेड़ पर 4 मीटर चौड़ा रास्ता चाहते है जो नियमानुसार दिया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। तहसीलदार भूपालसागर की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है तथा प्रार्थीगण को अपनी आराजियात पर आने-जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। अत: पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार भूपालसागर की मौका रिपोर्ट एवं वकील प्रार्थीगण की बहस के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 251ए स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भूपालसागर को आदेशित किया जाता है कि आप उपरोक्त वर्णित रास्ते में ली जाने वाली भूमि का नाप-चौप कर नियमानुसार डीएलसी दर की दुगुनी राशि को विधिक खातेदारों के भुगतान हेतु प्रार्थीगण से जरिये डीडी या चैक प्राप्त कर संबंधित रास्ते के प्रयोजन हेतु देने वाले खातेदारों, सहखातेदारों को बतौर क्षतिपूर्ति सुपुर्द करें तत्पश्चात रकबा रेकर्ड [illegible] दरामद कर तरमीम की कार्यवाही की जावे। निर्णय की [illegible] नजरी नक्शा मौका रिपोर्ट तहसीलदार भूपालसागर [illegible] पालना हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.4.21

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलेक्टर एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.04.16 16:06:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner